

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,


//आदेश//

भोपाल, दिनांक १८ जनवरी 2018

क्रमांक एफ-1(बी)40/2017/बी-4/दो,ः इस विभाग के समसंचयक आदेश दिनांक 26.10.2017 जिसके द्वारा सरल क्रमांक -62 पर अंकित अभ्यर्थी श्री विपिन राजपूत को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति करते हुए, शहडोल पदस्थ किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब उन्हें दमोह पदस्थ किया जाता है।

2/- शेष शर्तें यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के नाम से तथा आदेशानुसार


(श्रीदास)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

पृ०क०एफ-1(बी) 40/2017/बी-4/दो

भोपाल, दिनांक १८ जनवरी, 2018

प्रतिलिपि :— निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, की ओर उनके पत्र क्रमांक 3392/51/2016/चयन, इंदौर, दिनांक 29 मई 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. संबंधित कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक
5. संबंधित कोषालय अधिकारी,
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, गृह विभाग।
7. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, गृह।
8. निज सचिव, सचिव, गृह।
9. संबंधित उप सचालक, अभियोजन,
10. संबंधित जिला लोक अभियोजन अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व उनके मूल नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता, जाति-प्रमाण एवं शासकीय / अर्द्धशासकीय सेवक होने की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति

11/2/1

प्रमाण—पत्र आदि संबंधी मूल अभिलेख की जाँच कर ले तथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना
इस विभाग को दे।

11. संबंधित श्री विपिन राजपूत गुरु गोविन्द सिंह बार्ड भगवानगंज जिला सागर म0प्र0 पिन
कोड 470002 को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद
पर पदस्थापना स्थान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के साथ
निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेर्गी।

8/18

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग